

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक:

- 1 समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

11 DEC 2021

परिपत्र

विषय:-सीधी भर्ती और पदोन्नति में दिव्यांगजन को आरक्षण देने के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के द्वारा दिव्यांगजनों (विशेष योग्यजनों) (Persons with Disabilities) को सीधी भर्तियों में आरक्षण देने के लिए रोस्टर बिन्दु निर्धारित करने एवं रोस्टर पंजिका संधारित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अधिसूचना क्रमांक प. (10)एस ए पी/एक्ट/15374 दिनांक 14 अक्टूबर 2021, जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.21 को हुआ है, द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर दिव्यांगजनों को पदोन्नति में भी आरक्षण देय है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में यह नवीन निर्देश जारी किय जा रहे हैं।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित दिव्यांगजन की प्रत्येक श्रेणी को एक-एक प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार देय है:-

(अ) दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि।

(ब) श्रवण बाधित।

(स) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड पीडित, मॉसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित समस्त चलन-निःशक्तता

(द) (1) ऑटिज्म, बौद्धिक निःशक्तता, लर्निंग निःशक्तता एवं मानसिक रुग्णता।

(2) बहुविकलांगता उपरोक्त गुप-अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित सहित।

रिक्तियों का उक्त आरक्षण क्षैतिज माना जायेगा और बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए रिक्तियां एक अलग वर्ग के रूप में संधारित की जावेगी।

2. **दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र:-** दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति होगा।

Handwritten signature

56/2021

3. **आरक्षण हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं आरक्षण में छूट:**—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.1.2021 द्वारा निःशक्तता की विभिन्न श्रेणियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिन्हीकरण किया गया है। राज्य सरकार में पदों की भर्ती के समय दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित करने के लिए उक्त अधिसूचना एवं समय-समय पर अद्यतन अधिसूचनाओं का संदर्भ लिया जायेगा तथा इनमें वर्णित पदों की भर्ती में दिव्यांगजन हेतु पद आरक्षित किये जायेगे। सामान्यतया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त चिन्हीत पदों को दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी पद का पदनाम भारत सरकार के पदनाम से भिन्न हो या कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में अस्तित्व में नहीं हो तो राज्य में किसी समकक्ष श्रेणी के पद को चिन्हीत करने के लिए प्रकरण राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के अन्तर्गत गठित समिति को संदर्भित किया जायेगा। उक्त समिति किसी पद विशेष की कार्य की प्रकृति और पद के दायित्व के आधार पर समकक्ष पद चिन्हीत करेगी।

यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी कार्य अथवा कतिपय पद से संबंधित कार्यों को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इसका पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। निदेशक, विशेष योग्यजन द्वारा प्रकरण में छूट पर विचार किये जाने हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6 के तहत गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार कर पद विशेष के लिए सीधी भर्ती में दिव्यांगजन की किसी विशेष श्रेणी अथवा सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण से छूट प्रदान करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई पद विशेष योग्यजन की किसी एक ही श्रेणी के लिए उपयुक्त होना चिन्हीत किया गया है तो उस स्थिति में विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित सभी 4 प्रतिशत पद विशेष योग्यजन की उसी श्रेणी से भरे जायेगे।

4. **रिक्तियों का अग्रेषण एवं अन्तः श्रेणी परिवर्तन :-**जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

5. **अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध चयन:-** जहां कोई पद दिव्यांगजन की सभी श्रेणिया या एक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो तो उस पद की भर्ती में दिव्यांगजन के लिए रिक्ति आरक्षित नहीं होने पर भी बिना आरक्षण का लाभ लिए स्वयं की योग्यता पर चयनित होने की पात्रता रखने पर विशेष योग्य जन को उस पद के लिए प्रतियोगिता और चयन से वंचित

6/1/21

नहीं किया जा सकता है। मापदण्डों में शिथिलन के बिना स्वयं की योग्यता से चयनित ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को रोस्टर में अनारक्षित बिन्दुओं के विरुद्ध दर्शाया जायेगा तथा भविष्य में भर्ती के समय विशेष योग्यजन के लिए उपलब्ध होने वाली आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. दिव्यांगजन को सीधी भर्ती में निम्न रियायतें देय होगी: -

- (1) आयु सीमा- सीधी भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष का शिथिलन देय होगा। आयु सीमा में यह शिथिलन नियमों में विभिन्न श्रेणियों में लंबवत व क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को देय शिथिलन के अतिरिक्त होगा।
- (2) सेवा नियमों में जहाँ कहीं भी किसी भी पेपर के लिए न्यूनतम अर्हता/ उत्तीर्णांक निर्धारित है, दिव्यांगजन को उसमें 5 % की रियायत होगी।

7. आरक्षण की गणना की पद्धति:-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रयोजन हेतु राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संवर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण संदर्भित दिव्यांगजनों को देय होगा। दिव्यांगजन को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति में जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण की गणना किसी सेवा संवर्ग में कुल पदों की संख्या को आधार पर मानते हुए की जायेगी।

उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत चिन्हित निःशक्तजन के लिए किया गया आरक्षण एक क्षैतिज आरक्षण होगा और संदर्भित निःशक्तजन के लिए निर्धारित पद विशिष्ट प्रवर्ग के रूप में संचालित होगा।

8. पदोन्नति में आरक्षण:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021, जिसका राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.10.2021 को प्रकाशन हुआ है। अतः यह अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 को प्रभावी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि विभाग द्वारा रिक्त वर्ष 2021-22 में किन्हीं पदों की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, तो अब उक्त अधिसूचना के प्रावधान के अन्तर्गत बैचमार्क दिव्यांगजन को पदोन्नति में उक्तानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा परन्तु जिन विभागों द्वारा दिनांक 21.10.2021 से पूर्व दिव्यांगजन को पदोन्नति में बिना आरक्षण देते हुए विभागीय पदोन्नति समितियाँ आयोजित की जा चुकी है, इन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा अर्थात् ऐसी डी.पी.सी को रिव्यू नहीं किया जावेगा।

9. रोस्टर का संधारण :-दिव्यांगजन के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग-अलग रोस्टर संधारित किया जायेगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.8.2019 के निर्देशानुसार रोस्टर रजिस्टर सीधी भर्ती की भांति ही पदोन्नति में भी 100 अंकों का चक्र होगा। प्रत्येक चक्र 4 ब्लॉक में विभाजित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:-

प्रथम ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 01 से 25
द्वितीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 26 से 50
तृतीय ब्लॉक	: रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 51 से 75

Gurh


चतुर्थ ब्लॉक : रोस्टर रजिस्टर के क्र.सं. 76 से 100

रोस्टर रजिस्टर के क्र सं. 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों में दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन हेतु संलग्न प्रपत्र 'अ' में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिका का संधारण किया जायेगा।

10. निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सम्पर्क अधिकारी :-प्रत्येक विभाग में दिव्यांगजन आरक्षण की अनुपालना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा विभाग के सभी सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन हेतु रोस्टर पंजिका भी संधारित करवाई जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षण रोस्टर पंजिका का संधारण सही तरीके से किया जा रहा है। दिव्यांगजन आरक्षण के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

सभी विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से


(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. समस्त अध्यक्ष/सचिव, आयोग निकाय/बोर्ड/निगम/प्राधिकारण।
8. निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

विशेष योग्यजन हेतु रोस्टर पंजिका

(विभिन्न श्रेणियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण)

ब्लॉक	आरक्षित रोस्टर बिन्दु	विशेष योग्यजन जनश्रेणी जिसके लिए आरक्षित है	भर्ती वर्ष	चयनित व्यक्ति का नाम	अप्रेषित आरक्षण (यदि कोई है)	टिप्पणी
1-25	01					
26-50	26					
51-75	51					
76-100	76					

6/2/24

नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर